रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-128

REGISTERED NO. D. (D.N.)-128

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 607] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 21, 1989/कार्तिक 30, 1911

No. 607] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 21, 1989/KARTIKA 30 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 नवंबर, 1989

सा. का. नि. 1020(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंम्भ—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय नमक सेवा नियम, 1989 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं—इन नियमों मे, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "आयोग" से संघ लोक सेवा आयोग अभिप्रेत है।

(ख) "नियंत्रक प्राधिकारी" से भारत सरकार का उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) अभिप्रेत है।

(ग) "विभागीय अभ्यर्थियों" से ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत है जो सेवाधृति मे अन्यथा के आधार पर आयोग के परामर्श से या विभागीय प्रोन्नति समिति की सिफारिश पर नियुक्त किए गए हैं और जो—

(1) इन नियमों के प्रारंभ की तारीख को अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट; और

(2) सेवा मे संवर्गित और ऐसे संवर्गीकरण की तारीख को सेवा के आरंभिक गठन के पश्चात अनुसूची 1 में सम्मिलित; पदधारण करते है या पदों पर धारणाधिकार रखते है

(घ) "कर्त्तव्य पद" से अभिप्रेत है अनुसूची 1 में सम्मिलित कोई पद चाहे स्थायी हो या अस्थायी;

(ङ) "सरकार" से भारत सरकार अभिप्रेत है;

(च) "ग्रेड" से सेवा को कोई ग्रेड अभिप्रेत है,

(छ) "नियमित सेवा" से किसी ग्रेड के संबंध मे उस ग्रेड में दीर्घकालिक नियुक्ति के लिए विहित प्रक्रिया के अनुसार नियमि आधार पर चयन के पश्चात् की गई उस ग्रेड मे सेवा की अवधि या अवधियां अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत,—

(1) उन व्यक्तियों के मामले मे, जो सेवा के आरंभिक गठन पर नियुक्त किए गए है, ज्येष्ठता के प्रयोजन के लिए हिसाब मे ली गई कोई अवधि या अवधियां है;

(2) कोई ऐसी अवधि या अवधियां हैं, जिनके दौरान कोई अधिकारी उस ग्रेड में कोई कर्त्तव्य पद धारण करता यदि वह छुट्टी पर नहीं होता या ऐसे पदों को धारण करने के लिए अन्यथा उपलब्ध नहीं होता;

(ज) "अनुसूची" से इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है;

(झ) "सेवा" से नियम 3 के अधीन गठित भारतीय नमक सेवा अभिप्रेत है।

3. भारतीय नमक सेवा का गठन—भारतीय नमक सेवा के नाम से ज्ञात एक सेवा गठित की जाएगी जिसमें नियम 6 और 7 अधीन सेवा में नियुक्त व्यक्ति होंगे और सेवा में सम्मिलित सभी पद, जैसा अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट है, उसके अनुसार वर्गीकृत किए जाएंगे।

4. ग्रेड, प्राधिकृत सदय संख्या और उसका पुनर्विलोकन—(1) इन नियमों के प्रारंभ की तारीख पर सेवा के विभिन्न ग्रेडों में सम्मिलित कर्त्तव्य पद, उनकी संख्या और वेतनमान, जैसा अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट है, उसके अनुसार होगा।

(2) इन नियमों के प्रारंभ के पश्चात् विभिन्न ग्रेडों में कर्त्तव्य पदों की प्राधिकृत स्थायी सदय-संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाए।

(3) सरकार विभिन्न ग्रेडों में कर्त्तव्य पदों की सदस्य-संख्या में उतनी अस्थायी वृद्धि कर सकेगी जितनी समय-समय पर आवश्यक समझी जाए।

(4) सरकार, आयोग के परामर्श से अनुसूची 1 में सम्मिलित किए गए पदों से भिन्न वे पद जो प्रास्थिति, ग्रेड, वेतनमान और वृत्तिक विषय-वस्तु में सेवा में सम्मिलित पदों के समतुल्य समझे जाएं, कोई पद सेवा में सम्मिलित कर सकेगी या उक्त अनुसूची में सम्मिलित कोई पद सेवा से अपवर्जित कर सकेगी।

(5) सरकार, आयोग के परामर्श से, ऐसे अधिकारी को, जिसका पद उपनियम (4) के अधीन सेवा में सम्मिलित किया गया है, सेवा के समुचित ग्रेड में अस्थायी हैसियत में या अधिष्ठायी हैसियत में, जो उपयुक्त समझा जाए, नियुक्त कर सकेगी और उस ग्रेड में उसकी ज्येष्ठता सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए साधारण आदेशों/विनिर्देशों के अनुसार नियत कर सकेगी।

5 सेवा के सदस्य—(1) निम्नलिखित व्यक्ति सेवा के सदस्य होंगे

(क) इन नियमों के प्रारंभ पर, ऐसे प्रारंभ की तारीख से, नियम 6 के अधीन सेवा में नियुक्त व्यक्ति,

(ख) इन नियमों के प्रारंभ के पश्चात् कर्त्तव्य पद पर नियुक्त व्यक्ति उस तारीख से जिसको वे इस प्रकार नियुक्त किए जाते हैं।

(2) उपनियम (1) के खंड (क) के अधीन नियुक्त किसी व्यक्ति को ऐसे प्रारंभ पर अनुसूची 1 में उसे लागू समुचित ग्रेड में सेवा का सदस्य समझा जाएगा।

(3) उपनियम (1) के खंड (ख) के अधीन नियुक्त कोई व्यक्ति ऐसी नियुक्ति की तारीख से अनुसूची 1 में उसको लागू समुचित ग्रेड में सेवा का सदस्य होगा।

6. सेवा का आरंभिक गठन—इन नियमों के प्रारंभ की तारीख पर भारतीय नमक सेवा समूह "क" और भारतीय नमक सेवा समूह "ख" में नियमित आधार पर पद धारण करने वाले सभी विद्यमान अधिकारी आरंभिक गठन के प्रकम पर, यथास्थिति, अधिष्ठायी या स्थानापन्न हैसियत में सेवा में तत्स्थानी पदों और ग्रेडों में नियुक्त किए गए समझे जाएंगे (सेवा में नियुक्ति के पूर्व, अपनियम (1) में निर्दिष्ट अधिकारियों की नियुक्ति निरंतर सेवा को, सेवा में परिवीक्षा अवधि, प्रोन्नति के लिए अर्हक सेवा, पुष्टि और पेंशन के प्रयोजन के लिए गिना जाएगा।

7. सेवा का भविष्य में बनाए रखा जाना—(1) नियम 6 में यथा अपबंधित सेवा के आरंभिक गठन के पश्चात अनुसूची 1 में निर्दिष्ट किसी ग्रेड में उत्पन्न होने वाली किसी रिक्ति को अनुसूची 2 में उपबंधित रीति से भरा जाएगा।

(2) चयन के प्रत्येक अवसर पर ग्रेड III में प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के मामले में और ग्रेड III और IV में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए आयोग से परामर्श किया जाएगा और प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण पर नियुक्ति के लिए भी और अल्पकालिक संविदा पर नियुक्ति के लिए भी आयोग से परामर्श करना आवश्यक होगा।

8. ज्येष्ठता—(1) इन नियमों के प्रारंभ के पूर्व किसी ग्रेड में नियुक्त सेवा के सदस्यों की सापेक्ष ज्येष्ठता उस दिन से पूर्व यथा अवधारित उनकी सापेक्ष ज्येष्ठता द्वारा विनियमित होगी:

परन्तु यदि ऐसे किसी अधिकारी की ज्येष्ठता उस तारीख से पूर्व विनिर्दिष्ट रूप से अवधारित नहीं की गई है तो उसकी ज्येष्ठता वह होगी जो केन्द्रीय सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा अवधारित की जाएगी।

(2) आरम्भिक गठन पर नियम 6 के अधीन संबंधित ग्रेड में सेवा में सम्मिलित सभी स्थायी अधिकारी तत्पश्चात उस ग्रेड में अधिष्ठायी रूप से नियुक्त सभी व्यक्तियों से रैंक में ज्येष्ठ होंगे और सेवा के आरम्भिक गठन पर सेवा के किसी ग्रेड में सम्मिलित सभी अस्थायी अधिकारी उस तारीख के पश्चात उस ग्रेड में नियुक्त सभी अस्थायी अधिकारियों से रैंक में ज्येष्ठ होंगे।

(3) आरंभिक गठन के पश्चात् सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता, समय-समय पर इस विषय में सरकार द्वारा जारी किए गए साधारण अनुदेशों के अनुसार अवधारित की जाएगी।

(4) उपर्युक्त उपबन्धों के अन्तर्गत न आने वाले मामलों में ज्येष्ठता सरकार द्वारा आयोग के परामर्श से अवधारित की जाएगी।

9. परिवीक्षा (1) सेवा के ग्रेड 3 और 4 में सीधे भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया प्रत्येक व्यक्ति क्रमशः एक और दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगा और सेवा के ग्रेड 3 और 4 में प्रोन्नत किए गए अधिकारियों की परिवीक्षा अवधि दो वर्ष होगी।

परन्तु नियंत्रक प्राधिकारी, परिवीक्षा की अवधि समय-समय पर सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार बढ़ाया घटा सकेगा।

परन्तु यह और कि परिवीक्षा अवधि के बढ़ाने के लिए कोई विनिश्चय पूर्ववर्ती परिवीक्षा अवधि की समाप्ति के पश्चात् का मान्यता या। आठ सप्ताह के भीतर किया जाएगा और उस अवधि के भीतर ऐसा करने के कारणों सहित संबंधित अधिकारी को लिखित रूप में सूचित किया जाएगा।

(2) परिवीक्षा अवधि के पूरा होने या उसकी किसी वृद्धि पर अधिकारियों को, यदि वे स्थायी नियुक्ति के लिए उपयुक्त समझे जाते हैं यथास्थिति नियमित आधार पर उनकी नियुक्ति में रखा जाएगा या सम्यक् अनुक्रम में पुष्ट किया जाएगा।

(3) यदि यथास्थिति परिवीक्षा अवधि या उसकी किसी वृद्धि के दौरान सरकार की राय है कि कोई अधिकारी स्थायी नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं हैं, तो सरकार, यथास्थिति उस अधिकारी को, सेवोन्मुक्त कर सकेगी या सेवा में उसकी नियुक्ति के पूर्व उसके द्वारा धारित पद पर प्रतिवर्तित कर सकेगी या ऐसा आदेश कर सकेगी जो वह ठीक समझे।

(4) परिवीक्षा की अवधि के या उसकी किसी वृद्धि के दौरान सरकार द्वारा परिवीक्षा के समाधानप्रद रूप में पूरा करने की शर्त के रूप में अभ्यर्थियों से ऐसा प्रशिक्षण और शिक्षण पाठ्यक्रम पूरा करने और ऐसी परीक्षा और परीक्षण (जिसके अन्तर्गत हिन्दी में परीक्षा भी है) उत्तीर्ण करने की, जो सरकार ठीक समझे अपेक्षा की जा सकेगी।

(5) परिवीक्षा से सबंधित अन्य मामलों के सबंध में सेवा सदस्य समय-समय पर इस संबंध में सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों द्वारा शासित होंगे।

10 विशेष परिस्थितियों में अर्हक सेवा में वृद्धि--ग्रेड-III में सीधी भर्ती की पद्धति द्वारा नियुक्त सेवा के सदस्यों को, केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अधीन यथा उपबन्धित अर्हक सेवा में वृद्धि का फायदा होगा।

11. भारत के किसी भाग में सेवा के लिए दायित्व और सेवा की अन्य शर्तें (1) सेवा में नियुक्ति अधिकारी भारत में या भारत के बाहर, कहीं भी सेवा करने के लिए दायी होंगे।

(2) सेवा में नियुक्त कोई भी अधिकारी, यदि ऐसी अपेक्षा की जाए, किसी रक्षा सेवा या भारत की रक्षा से संबंधित किसी पद पर कम से कम चार वर्ष की अवधि के लिए, जिसके अंतर्गत प्रशिक्षण में व्यतीत की गई अवधि' यदि कोई है, भी है, सेवा करने के लिए दायी होगा, परन्तु ऐसे अधिकारियों से

(क) सेवा में उसकी नियुक्ति की तारीख से या सेवा के आरंम्भिक गठन से पूर्व उसके सेवा ग्रहण की तारीख से 10 वर्ष की समाप्ति के पश्चात् यथा पूर्वोक्त सेवा करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

(ख) यथा पूर्वोक्त सेवा करने की समान्यतया अपेक्षा नहीं की जाएगी, यदि उसने 40 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है।

(3) उन विषयों के सबंध में, जिनके लिए इन नियमों में कोई उपबंध नहीं किया गया है, सेवा के सदस्यों की सेवा की शर्तें वही होंगी जो साधारणतया केन्द्रीय सिविल सेवा के अधिकारियों को समय समय पर लागू होती है।

12. निरर्हता वह व्यक्ति--

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा --

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

13 शिथिल करने की शक्ति -- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

14 व्यावृत्ति--इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिसका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

15. निर्वचन--यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उठता है तो उसका विनिश्चय सरकार द्वारा किया जाएगा।

16 निरसन--भारतीय नमक सेवा नियम 1970 और भारतीय नमक सेवा नियम, 1987 और भारतीय नमक सेवा भर्ती नियम 1987 निरसित किए जाते है --

परन्तु ऐसा निरसन, ऐसे निरसन के पूर्व उक्त नियमों के अधीन की गई किसी बात या की गई किसी कार्रवाई पर प्रभाव नहीं डालेगा।

अनुसूची 1

[नियम 4 का उपनियम (1) में देखिए]

भारतीय नमक सेवा के विभिन्न ग्रेडों में सम्मिलित कर्तव्य पदों का नाम, संख्या और वेतनमान

(वर्गीकरण)

ग्रेड	पदनाम	वर्गीकरण	पदों की संख्या स्थायी	अस्थायी	योग	वेतनमान
ग्रेड I	नमक आयुक्त	समूह "क", राजपत्रित	1	--	01	5100-150 5700 रु
ग्रेड II	नमक उपायुक्त	समूह 'क", राजपत्रित	4	01	05	3700-125-4700-150-5000
ग्रेड III	नमक सहायक आयुक्त	समूह 'क', राजपत्रित	6	03	09	3000-100-3500 125-4500 रु.
ग्रेड IV	नमक अधीक्षक	समूह 'ख', राजपत्रित अननुसचिवीय	11	05*	22	2000-60-2300-द. रो--75-3200 100-3500रु. *4 छुट्टी रिजर्व भी शामिल है।

(i) पदधारी, पुनरीक्षण पूर्व के प्रतिस्थापन वेतनमान को प्रतिधारित कर सकता है या 3700-5000 रु. के उन्नत वेतनमान के लिए विकल्प चुन सकता है।

अनुसूची

[नियम 7 का उपनियम (1) देखिए]

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6
1. नमक आयुक्त	1 (एक) (1989)	भारतीय नमक सेवा श्रेणी 1, समूह 'क', राजपत्रित	5100-150-5700 रुपए	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
7	8
लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) टिप्पण : ऐसे अधिकारी जिन्हें इस अधिसूचना के पूर्व 1500-2000 रु. वेतनमान (5100-5700 रु. उन्नत वेतनमान) में पद पर नियमित आधार पर नियुक्त किया गया है, उन्नत वेतनमान में पद पर नियुक्त किया गया समझा जाएगा।

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जायेगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना
9	10
प्रोन्नति द्वारा : भारतीय नमक सेवा के ऐसे श्रेणी 1 अधिकारी, जिन्होंने उस श्रेणी में 7 वर्ष नियमित सेवा की है। प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/पब्लिक सेक्टर उपक्रमों/कानूनी/स्वायत्त संगठनों के ऐसे अधिकारी— (क) (1) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हैं या (2) जिन्होंने 1500-5700 रु. के वेतनमान वाले या समतुल्य पदों पर 3 वर्ष नियमित सेवा की है, या (3) जिन्होंने 3700-5000 रु. के वेतनमान वाले या समतुल्य पदों पर 7 वर्ष नियमित सेवा की है, और (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है आवश्यक : (1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान में मास्टर की डिग्री या समतुल्य या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से रासायनिक इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी में डिग्री या समतुल्य, और (2) रासायनिक उद्योग (जिसके अन्तर्गत नमक उद्योग भी है) में 10 वर्ष का अनुभव। वांछनीय : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान में पी.एच.डी. की डिग्री या आवश्यक अर्हता (ii) से सुसंगत रासायनिक इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी में मास्टर की डिग्री या समतुल्य। (प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण की अवधि जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 4 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)	प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति (1) अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग—अध्यक्ष (2) अपर सचिव, औद्योगिक विकास विभाग—सदस्य (3) संयुक्त सचिव, औद्योगिक विकास विभाग—सदस्य।

1	2	3	4	5	6
1. उप नमक आयुक्त	5[illegible] (1989) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	भारतीय नमक सेवा, श्रेणी 2 समूह 'क' राजपत्रित	3700-125-4700-150-5000 रुपये	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

7	8
लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) टिप्पण : ऐसे अधिकारी जिन्हें इस अधिसूचना के पूर्व 1300-1700 रु. वेतनमान (3700-5000 रु.) उन्नत वेतनमान में पद पर नियमित आधार पर नियुक्त किया गया है, उन्नत वेतनमान में पद पर नियुक्त किया गया समझा जाएगा।

9	10
प्रोन्नति द्वारा : भारतीय नमक सेवा के ऐसे श्रेणी 3 अधिकारी जिन्होंने उस श्रेणी में 5 वर्ष नियमित सेवा की है। प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) : केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/पब्लिक सेक्टर उपक्रमों/कानूनी/स्वायत्त संगठनों के ऐसे अधिकारी (क) (1) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हैं या (2) जिन्होंने 3000-5000 रु. या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर [illegible] वर्ष नियमित सेवा की है या (3) जिन्होंने 3000-4500 रु. या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर [illegible] वर्ष नियमित सेवा की है और (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है : आवश्यक : (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान में मास्टर डिग्री या समतुल्य, या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था या समतुल्य से रासायनिक इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी में डिग्री या समतुल्य, और (ii) रासायनिक उद्योग (जिसके अन्तर्गत नमक उद्योग भी है) में 8 वर्ष का अनुभव। वांछनीय : किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से रसायन विज्ञान में पी.एच. डी. डिग्री या आवश्यक अर्हता (i) से सुसंगत रासायनिक इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी में मास्टर डिग्री। (प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण की अवधि जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के या उसी किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 4 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)	प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति (1) अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग—सदस्य (2) संयुक्त सचिव, औद्योगिक विकास विभाग—सदस्य (3) नमक आयुक्त—सदस्य।

1	2	3	4	5
3. सहायक नमक आयुक्त	9 (नौ)* *(1989) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	भारतीय नमक सेवा, श्रेणी 3, समूह 'ख' राजपत्रित	3000-100-3500-125-4500 रु.	40 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल किया जा सकता है।) टिप्पण: आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख, भारत में अभ्यर्थियों से, (उनसे भिन्न जो अण्डमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप में हैं) आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी।

6	7	8
आवश्यक: (1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान में मास्टर डिग्री या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था या समतुल्य से रासायनिक इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी में डिग्री या समतुल्य, और (2) रासायनिक उद्योग (जिसके अन्तर्गत नमक उद्योग भी है) में 5 वर्ष का अनुभव। (3) प्रशासनिक अनुभव। वांछनीय रसायन विज्ञान में पी एच डी डिग्री या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से आवश्यक अर्हता (ii) से सुसंगत रासायनिक इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी में मास्टर डिग्री या समतुल्य। टिप्पण: 1. अर्हताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। 2. अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है (हैं) जब चयन किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।	आयु: नहीं शैक्षिक अर्हता: हां	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

9	10
प्रोन्नति द्वारा भारतीय नमक सेवा के ऐसे श्रेणी 4 अधिकारी जिन्होंने उस श्रेणी में 8 वर्ष नियमित सेवा की है। प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/अर्ध सरकारी/कानूनी या स्वायत्त संगठनों के ऐसे अधिकारी — (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हैं, या (ii) जिन्होंने 2200-4000 रु. या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर 5 वर्ष नियमित सेवा की है, या (iii) जिन्होंने 2000-3500 रु. या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर 8 वर्ष नियमित सेवा की है और (ख) जिनके पास सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए स्तंभ 6 में विहित अर्हता और अनुभव है। (प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण की अवधि जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।)	प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति — (i) अध्यक्ष/सदस्य संघ लोक सेवा आयोग—अध्यक्ष (ii) संयुक्त सचिव, औद्योगिक विकास विभाग—सदस्य (iii) नमक आयुक्त—सदस्य पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति: (i) संयुक्त सचिव, औद्योगिक विकास विभाग—अध्यक्ष (ii) उप सचिव, औद्योगिक विकास विभाग—सदस्य (ii) नमक आयुक्त—सदस्य। (पुष्टि से संबंधित विभागीय प्रोन्नति समिति की कार्यवाहियां संघ लोक सेवा आयोग के अनुमोदनार्थ भेजी जाएंगी किन्तु यदि आयोग उनका अनुमोदन नहीं करता है तो विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य की अध्यक्षता में फिर से होगी।)

1	2	3	4	5
4. नमक अधीक्षक	22* (बाईस) (1989) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	भारतीय नमक सेवा, श्रेणी IV समूह 'ख' राजपत्रित	2000-60-2300 द.रो.-75-3200-100-3500 रु.	30 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पण—आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख, भारत में अभ्यर्थियों से (उनसे भिन्न जो अंदमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप में हैं) आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत अंतिम तारीख होगी।

6	7	8
आवश्यक : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान में मास्टर डिग्री या समतुल्य या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या समतुल्य से रासायनिक इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी में डिग्री या समतुल्य। वांछनीय : किसी रासायनिक प्रयोगशाला में या नमक उपयोग में अनुभव। टिप्पण 1—अर्हताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं। टिप्पण 2—अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है (है) जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की की राय हो कि उसके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।	नहीं किन्तु प्रोन्नत अधिकारियों के पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था या समतुल्य से कम से कम रसायन विज्ञान में स्नातक की डिग्री या रासायनिक इंजीनियरी में डिप्लोमा अवश्य होना चाहिए किन्तु इन नियमों के प्रारंभ होने की तारीख को विभाग में कार्य करने वाले प्रोन्नत अधिकारियों की दशा में उपरोक्त शर्त लागू नहीं होगी।	50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा। 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।

9	10
प्रोन्नति : नमक उपाधीक्षक की श्रेणियों में ऐसे अधिकारी जिन्होंने उस श्रेणी में 3 वर्ष नियमित सेवा की है। प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण—केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों के अधीन ऐसे अधिकारी— (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हैं, या (ii) जिन्होंने 1640—2900 रुपए या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर तीन वर्ष नियमित सेवा की है, और (ख) जिनके पास सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए स्तंभ 6 में विहित शैक्षिक अर्हताएं हैं। (प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण की अवधि जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के अन्य किसी संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी)।	प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति :— 1. संयुक्त सचिव, औद्योगिक विकास विभाग—अध्यक्ष 2. नमक आयुक्त—सदस्य 3. अवर सचिव, औद्योगिक विकास विभाग—सदस्य पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति : 1. संयुक्त सचिव, औद्योगिक विकास विभाग—अध्यक्ष 2. नमक आयुक्त—सदस्य 3. अवर सचिव, औद्योगिक विकास विभाग—सदस्य (टिप्पण : पुष्टि से संबंधित विभागीय प्रोन्नति समिति की कार्यवाहियां संघ लोक सेवा आयोग को अनुमोदनार्थ भेजी जाएंगी किन्तु, यदि आयोग उनका अनुमोदन नहीं करता है तो विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य की अध्यक्षता में फिर से होगी।

[सं. ए-12018/91/83-ई-4]

आर. के. सिन्हा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st November, 1989

G.S.R. 1020(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These Rules may be called the Indian Salt Service Rules, 1989.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definition.—In these rules unless the context otherwise requires,

(a) "Commission" means the Union Public Service Commission;

(b) "Controlling authority" means the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development);

(c) "departmental candidates" means persons who have been appointed otherwise than on tenure basis in consultation with the Commission or on the recommendations of a Departmental Promotion Committee and who hold posts or hold lien on posts;

(i) specified in Schedule I on the date of commencement of these rules; and

(ii) encadred in the Service and included in Schedule-I after the initial constitution of the Service, on the date of such encadrement;

(d) "duty post" means any post, whether permanent or temporary, included in Schedule-I,

(e) "Government" means the Government of India;

(f) "Grade" means a grade of the Service;

(g) "regular service" in relation to any grade means the period or periods of service in that grade rendered after selection on a regular basis according to the prescribed procedure for long term appointment to that grade and includes any period or periods :—

(i) taken into account for purpose of seniority in the case of those appointed at the initial constitution of the Service;

(ii) during which an officer would have held a duty post in that grade but for being on leave or otherwise not being available for holding such posts;

(h) "Schedule" means a Schedule appended to these rules;

(i) "Service" means the Indian Salt Service constituted under rule-3.

3. Constitution of the Indian Salt Service. There shall be constituted a service known as the Indian Salt Service consisting of persons appointed to the Service under rules 6 and 7 and all the posts included in the Service shall be classified as specified in Schedule- I.

4. Grade, authorised strength and its review.—(1) The duty posts included in the various grades of the service, their number and scales of pay on the date of commencement of these rules shall be as specified in Schuedle-I.

(2) After the commencement of these rules, the authorised permanent strength of the duty posts in various grades shall be such as may, from time to time be determined by the Government.

(3) The Government may make temporary addition to the strength of the duty posts in various grades as deemed necessary from time to time.

(4) The Government may, in consultation with the Commission, include in the service, such posts as can be deemed to be equivalent to the posts, included in the service, in status, grade, pay scale and professional content, other than those included in Schedule-I or exclude from the service, a post included in the said Schedule.

(5) The Government may, in consultation with the Commission, appoint an officer whose post is included in the service under sub-rule (4) of this rule to the appropriate grade of the service in a temporary capacity or in a substantive capacity, as may be deemed fit and fix his seniority in that grade in accordance with the general orders/instructions of Government issued from time to time.

5. Members of the Service. (1) The following persons shall be the members of the service :—

(a) persons appointed to the service at the commencement of these rules under rule 6 from the date of such commencement;

(b) persons appointed to duty posts after the commencement of these rules from the date they are so appointed.

(2) A person appointed under clause (a) of sub-rule (1) shall on such commencement be deemed to be a member of the Service in the appropriate grade applicable to him in Schedule-I.

(3) A person appointed under clause (b) of sub-rule (1) shall be a member of the service in the appropriate grade applicable to him in Schedule-I from the date of such appointment.

6. Initial Constitution of the Service.—(1) All the existing officers holding posts on regular basis in the Indian Salt Service Group 'A' and Indian Salt Service Group 'B' on the date of commencement of these rules shall be deemed to have been appointed to the corresponding posts and grades in the Service in the substantive or officiating capacity, as the case may be, at the initial constitution stage.

(2) The regular continuous service of officers referred to in sub-rule (1) prior to their appointment to the Service shall count for the purpose of probation period, qualifying service for promotion, confirmation and pension in the Service.

7. (1) Future maintenance of the Service. (1) Any vacancy arising in any grade referred to in Schedule-I after the initial constitution of the Service as provided in rule-6, shall be filled in the manner provided in Schedule-II.

(2) Selection on each occasion shall be made in consultation with the Commission in case of appointment by promotion to Grade-III and for appointment by direct recruitment to Grade-III and IV and consultation with the Commission is also necessary for appointment on transfer on deputation including short-term contract.

(3) Recruitment by promotion to any of the grades of the Service shall be made by selection on merit from among

the specified grade of the Service on the recommendation of the Departmental promotion Committee, whose composition shall be as indicated in Column 10 of Schedule-II.

8. Seniority: (1) The relative seniority of members of the Service appointed to any grade before the commencement of these rules shall be regulated by their relative seniority as determined before that day:

Provided that if the seniority of any such officer has not been specifically determined before that date shall be as determined by the Central Government in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension, Department of Personnel & Training.

(2) All permanent officers included in the Service at the initial constitution in the respective grades under rule-6 shall rank senior to all persons substantively appointed to that grade subsequently and all temporary officers included at the initial constitution of the Service in any grade shall rank senior to all temporary officers appointed to that grade after that date.

(3) The seniority of persons recruited to the Service after the initial constitution shall be determined in accordance with the general instructions issued by the Government in the matter from time to time.

(4) In cases not covered by the above provisions, seniority shall be determined by the Government in consultation with the Commission.

9. Probation: (1) Whereas every direct recruit appointed to Grades-III and IV of the Service shall be on probation for a period of one and two years respectively, the period of probation for officers promoted to Grade-III and IV of the Service shall be two years:

Provided that the Controlling Authority may extend or curtail the period of probation in accordance with the instructions issued by the Government from time to time

Provided further that any decision for extension of a probation period shall be taken ordinarily within eight weeks after the expiry of the previous probationary period and communicated in writing to the concerned officer together basis with the reasons for so doing within the said period.

(2) On completion of the period of probation or any extension thereof, officers shall, if considered fit for permanent appointment, be retained in their appointment on regular or be confirmed in due course, as the case may be.

(3) If, during the period of probation or any extension thereof, as the case may be, Government is of the opinion that an officer is not fit for permanent appointment, Government may discharge or revert the officer to the post held by him prior to his appointment in the Service as the case may be, or pass such orders as they deem fit.

(4) During the period of probation or any extension thereof, candidates may be required by Government to undergo such course or training and Instructions and to pass such examination and tests (including examination in Hindi) as Government may deem fit, as a condition to satisfactory completion of the probation.

(5) As regards other matters relating to probation, the members of the service will be governed by the instructions issued by the Government in this regard from time to time.

10. Addition to qualifying service in special circumstances- Members of the Service appointed through the method of direct recruitment to Grade-III shall have the benefit of additions to qualifying service as provided under Rule-30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972

11. Liability for service in any part of India and other conditions of Service - (1) Officers appointed to the Service shall be liable to serve anywhere in India or outside.

(2) Any officer appointed to the Service, if so required, shall be liable to serve in any Defence Service or a post connected with the defence of India for a period of not less than four years, including the period spent on training, if any,

Provided that such officers,

(a) shall not be required to serve as aforesaid after expiry of 10 years from the date of his appointment to the Service or from the date of his joining prior to the initial constitution of the Service;

(b) shall not ordinarily be required to serve as aforesaid if he has attained the age of 40 years.

(3) The conditions of service of the members of the Service in respect of matters for which no provision is made in these rules shall be the same as are applicable from time to time, to officers of Central Civil Services in general.

12. Disqualification - No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are no other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

13. Power to relax:- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing in, consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules, in respect of any class or category of persons.

14. Saving: Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for persons belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

15. Interpretation:- If any question relating to interpretation of these rules arises; it shall be decided by the Central Government.

16. Repeal:- The Indian Salt Service Recruitment Rules, 1970 and the Indian Salt Service Rules, 1987 and the Indian Salt Service Recruitment Rules, 1987 are hereby repealed;

Provided that such repeal shall not affect anything done or action taken under the said rules, before such repeal.

SCHEDULE—I

[See sub-rule (1) of rule-4]

Name, number and scale of pay of Duty posts included in the various Grades of the Indian Salt Services.

(CLASSIFICATION)

Grade	Designation	Classification	No. of posts.		Total	Scale of pay
			Permt.	Temp.		
Grade-I	Salt Commissioner.	Group 'A', Gazetted.	01	—	01	Rs. 5100-150-5700
Grade-II	Deputy Salt Commissioner	Group 'A' Gazetted.	04	01	05	Rs. 3700-125-4700-150-5000.@
Grade-III	Assistant Salt Commissioner	Group 'A' Gazetted.	06	03	09	Rs. 3000-100-3500-125-4500 @
Grade-IV	Superintendent of Salt	Group 'B' Gazetted Non-Ministerial	14	08*	22	Rs. 200-60-2300-EB-75-3200-100-3500

*including 4 leave reserves.

@The incumbents of the post may retain the replacement scale of the pre-revised scale of pay or may opt for the upgraded scale Rs. 3700-5000.

SCHEDULE-II

[See sub-rule (1) of rule 7]

Name of the post	Number of post	Classification	Scale of pay	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualification required for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Salt Commissioner.	1 (One) (1989)	Indian Salt Services, Grade-I, Group 'A' Gazetted.	Rs. 5100-150-5700	Not applicable	Not applicable

Whether age and Educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made.	If a DPC exists what is its composition.
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	By promotion failing which by transfer on deputation (including short-term contract) Note: The Officers, who have been appointed on a regular basis to the post in the scale of Rs. 1500-2000 (upgraded scale Rs. 5100-5700) prior to the notification of these rules, shall be deemed to have been appointed to the post in the upgraded scale.	By promotion : Grade-II Officers of the Indian Salt Service with 7 year's regular service in the grade. Transfer on deputation (including short term contract) : Officers of Central /State Government/Public Sector Undertakings/Statutory/Autonomous Organisations— (a)(i) holding analogous posts on regular basis : or	DPC for considering promotion : (i) Chairman/Member, UPSC —Chairman (ii) Additional Secretry, Department of Industrial Development—Member. (iii) Joint Secretary, Department of Industrial Development —Member.

			(ii) with 3 year's regular service in posts in the scale of Rs. 4500-5700 or equivalent; or (iii) with 7 year's regular service in posts in the scale of Rs. 3700-5000 or equivalent; and (b) possessing the following educational qualifications and experience : Essential : (i) Master's Degree in Chemistry from a recognised University or equivalent; OR Degree in Chemical Engg. / Technology from a recognised University/Institution or equivalent; and (ii) 10 year's experience in Chemical Industry (including salt Industry). Desirable : Ph.D. Degree in Chemistry or Master's Degree in Chemical Engineering/Technology relevant to EQ(ii)from a recognised University or equivalent. (Period of transfer on deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/ department of the Central Government shall not ordinarily exceed 4 years).		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Deputy Salt Commissioner.	5*(1989) *Subject to variation dependent on work load.	Indian Salt service. Grade-II, Group 'A' Gazetted.	Rs. 3700-125-4700-150-5000.	Not applicable.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)	(10)
Not Applicable.	By promotion failing which by transfer on deputation (including short-term contract) Note—The Officers, who have been appointed on a regular basis to the post in the pre-revised pay scale of Rs. 1300-1700 (upgraded scale of Rs. 3700-5000) prior to the notification of these rules, shall be deemed to have been appointed to the post in the upgraded scale.	By promotion : Grade -III officers of the Indian Salt Service with 5 years regular service in the grade. Transfer on deputation (including short-term contract) : Officers of the Central Government/State Governments/Public Sector Undertakings/Statutory/Autonomous Organisations. (a)(i) holding analogous posts on regular basis or,	DPC for considering promotion: (i) Chairman/Member, UPSC —Chairman (ii) Joint Secretary, Department of Industrial Development—Member. (iii) Salt Commissioner —Member.

				(ii) with 2 year's regular service in posts in the scale of Rs. 3000-5000 or equivalent; or (iii) with 2 year's regular service in posts in the scale of Rs. 3000-4500 or equivalent; and (b) possessing the following educational qualifications and experience. Essential : (i) Master's degree in Chemistry from a recognised University or equivalent; or Degree in Chemical Engineering/Technology or equivalent from a recognised University/Institution or equivalent; and (ii) 8 years' experience in a Chemical Industry (including Salt Industry) Desirble : Ph. D Degree in Chemistry or Master's degree in Chemical Engineering/Technology relevant to EQ(ii) from a recognised University/Institution or equivalent.	

(7)	(8)	(9)	(10)
		(Period of transfer on deputattation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed 4 years).	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. Assistant Salt Commissioner	9* (Nine) (1989) *Subject to variation dependent on workload.	Indian Salt service, Grade-III Group 'A' Gazetted.	Rs. 3000-100-3500-125-4500	40 years (Relaxable for Government servant upto 5 years, in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India (other than those in Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).	Essential : (i) Master's Degree in Chemistry from a recognised University; or Degree in Chemical Engg./-Technology or equivalent from a recognised University Institution or equivalent; and (ii) 5 year's experience in Chemical Industry (including Salt Industry). (iii) Administrative experience. Desirable : Ph. D. Degree in Chemistry or Master's Degree in Chemical Engineering/Technology relevant to FQ (ii) from a recognised University/Institution or equivalent. Note : 1 Qualifications are relaxable at the discretion of the Commission.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					Note 2: The qulilification(s) regading experience is/are relaxable at the discretion of the Commission in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes ,if, at any stage of selection, the Commission is of the Opinion that sufficient number of candidates from those communities possessing the requisite experience to fill up the vacancies reserved for them.

(7)	(8)	(9)	(10)
Age No EQ Yes	By promotion failing which by transfer on deputation (including short-term contract) failing both by direct recruitment.	By promotion : Grade-IV Officers of the Indian Salt Service with 8 years regular. service in the grade. Transfer on deputation (including short-term contract) Officers of Central/State Governments/Semi-Governments/Statutory Autonomous Organisations – (a)(i) holding analogous posts on a regular basis, or (ii) with 5 year's regular service in posts in the scale of Rs. 2200-4000 or equivalent. or. (iii) with 8 year's regular service in posts in the scale of Rs. 2000-3500 or equivalent . and (b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column 6. (Period of transfer on deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall not ordinarily exceed 3 years).	DPC for considering promotion : (1) Chairman/Member, UPSC – Chairman (2) Joint Secretary/Department of Industrial Development—Member. (3) Salt Commissioner– Member. DPC for considering confirmation : 1. Joint Secretary, Deptt. of Industrial Development—Chairman. 2. Deputy Secretary, Deptt. of Industrial Development—Member. 3. Salt Commissioner – Member. (The Proceeding of the DPC relating to confirmation shall be sent to the Commisson for approval. If, however, these are not approved by the Commission, a fresh meeting of the DPC to be presided over by the Chairman or a member of the commission shall be held).

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. Superintendent of Salt.	22* (Twentytwo) (1989) *Subject to variation dependent on workload.	Indian Salt Service. Grade-IV, Group 'B' Gazetted.	Rs. 2000-60-2300-EB-75 3200-100-3500	30 years (Relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with instructions or orders issued by the Central Govt.). Note: The crucial date for determinig the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andaman & Nicobar Islands and Lakshadweep).	Essential : Master's degree in Chemistry from a recognised University or equivalent; or Degree in Chemical Engineering/Technology or equivalent from a recognised University or equivalent. Desirable : Experience in a Chemical Laboratory or in salt Industry. Note 1: Qualification(s) are relaxable at thh discretion of the Commission.

			Note 2: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Commission in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes, if, at any stage of selection, the Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.
(7)	(8)	(9)	(10)
No, but the promotees Officers, must have atleast a Bachelor's degree in Chemistry of Diploma in Chemical Engineering from a recognised University/Institution or equivalent. However the above condition will not apply in case. of promotee officers working in the department on the date of commencement of these rules.	50% by promotion, failing which by transfer on deputation; 50% by direct recruitment. Note: All vacancies arising during the year 1989; 1990 & 1991 shall be filled 100% by promotion.	Promotion : Officers in the grades of deputy Superintendent of Salt with 3 year's regular service in the grade. Transfer on deputation : Officers under the Central/state Governments. (a) (i) holding analogous posts. on a regular basis; or (ii) with 3 year's regular service in posts in the scale of Rs 1640-2900 or equivalent; and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under columnal 6 (Period of transfer on deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other orgaisation/department of the Central Government shall ordinarily not exsceed 3 years).	DPC for considering promotion 1. Joint Secretary, Department of Industrial Development —Chairman 2. Salt Commissioner—Member 3. Under Secretary, Department of Industrial Development—Member. DPC for considering confirmation : 1. Joint Secretary, Department of Industrial Development—Chairman 2. Salt Commissioner- Member 3. Under Secretary, Department of Industrial Development —Member. (The proceedings of the Departmental Promotion Committee relating to confirmation shall be sent to the Commission for approval. if, however, these are not approved by the Commission, a fresh meeting of the Departmental Promotion Committee to be presided over by the Chairman or a Member of the Commission shall be held).

[File No.A-12018/9/83-E.IV]

R.K. SINHA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1990